

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

सा.का.नि.....(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के उपखंड (1) की धारा (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. 63/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उपखंड (ii) में सा.का.नि. संख्यांक 830(अ) तारीख 21 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है नामतः-

उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना में आरंभिक अनुच्छेद के पहले परतुंक की मद (ii) हटा दी जाएगी।

(फाइल संख्या 550/9/2015- अनु.अधि. (भू.सी.शु.)

(जगवीर सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 830 (अ) द्वारा तारीख 21 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 3753 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के माध्यम से अधिसूचना सं. 77/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.) द्वारा संशोधन किया गया है।